डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

रामअवतार बनाम समन्दर सिंह वगै0

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 17/20
यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुददव्ठ व .... डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1612 रकबा 0.03, 1908 रकबा 0.14, 1909 रकबा 0.13, 1910 रकबा 0.05 किता 4 रकबा 0.35 है0 वाके मौजा करीली तहसील नदबई पर शेष 1/3 हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम चले आ रहे हाल इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह बैज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – ————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

ब दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 12.03..2025 को जारी की गई ।

दस्तखत—— [signature] 12/03/2025

मुहर

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. रामअवतार पुत्र रामगोपाल जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (
राज.
2. सुभाष पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. समन्दर सिंह पुत्र सुगड सिंह जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भ
राज.
2. थानसिंह पुत्र डोरी जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
3. शिब्बो पुत्र खुन्नी जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
4. अतरसिंह पुत्र खुन्नी जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
5. भागवती बेवा प्रकाश जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
6. पंजाब नेशनल बैंक जरिए शाखा प्रबंधक नदबई।
7. राजस्थान सरकार जरिए पैरोकार तहसीलदार नदबई।
8. सब रजिस्ट्रार नदबई।

12/3/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:27 IST
Reason: SelfAttested

1.

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 17/20
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
जीसीएमएस नंबर 2020/00043
निर्णय दिनांक 12.03.25

1. रामअवतार पुत्र रामगोपाल जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
2. सुभाष पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर) राज.

वादीगण

बनाम

1. समन्दर सिंह पुत्र सुगड सिंह जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
2. थानसिंह पुत्र डोरी जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
3. शिब्बो पुत्र खुन्नी जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
4. अतरसिंह पुत्र खुन्नी जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
5. भागवती बेवा प्रकाश जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
6. पंजाब नेशनल बैंक जरिए शाखा प्रबंधक नदबई।
7. राजस्थान सरकार जरिए पैरोकार तहसीलदार नदबई।
8. सब रजिस्ट्रार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री सुरेश सिंह एड0(वादी)

श्री लक्ष्मण सिंह एड0(प्रतिवादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय 88, [illegible] 188 आर.टी.ए.

1. यह कि तत्कालीन खातेदार हरवीर सिंह की मृत्यु हो [illegible] है जिसके स्थान पर उसके वारिस उसकी माता भागवती बेवा प्रकाश [illegible]दार दर्ज है। जिसे

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। तथा वादी व प्रतिवादीगण बालिग हैं तथा स्वस्थचित्त है।

2. यह कि खाता संख्या 441 के हाल खसरा नंबर 1612 रकबा 0.03, 1908 रकबा 0.14, 1909 रकबा 0.13, 1910 रकबा 0.05 किता 4 रकबा 0.35 है0 वाके मौजा करीली में स्थित है जो साबिक खसरा नंबर 1421 रकबा 3 बिस्वा, 1911 रकबा 4 बिस्वा, 1912 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा से बने हैं। जिनको वादीगण ने जरिए रजि. वयनामा तत्कालीन खातेदारान किरोडी व डोरी पुत्रान चिरंजी व मृतक खुन्नी के वारिसान परवो बेवा खुन्नी, सुगड, शिब्बो, अतरसिंह व ज्ञानसिंह से संपूर्ण रकबा क्रय किया था जो दिनांक 19.10.83 को किया था। तत्कालीन विक्रेता खातेदारान का खातेदारी का इन्द्राज संवत 2052 से 55 की जमाबंदी में अंकित है। उक्त आराजी का मौके पर कब्जा व दखलवक्त वयनामा ही वादीगण ने प्राप्त कर लिया जिसमें हाल खसरा नंबर 1612 में वादीगण ने 8 पुख्ता दुकान निर्माण कर रखी हैं। तथा खसरा नंबर 1908 में सुभाष ने अपना पुख्ता मकान निर्माण कर लिया। तथा खसरा नंबर 1909 व 1910 में वादीगण ने दो समान हिस्सों में बांटकर अपनी खुद की खातेदारी के खसरा नंबर 1911 में मिलाकर बांट लिया। जिसमें वादीगण की लाहे की फसल खडी है। व उक्त रकबा के दक्षिण के तरफ सडक की तरफ कुर्सी तक पुख्ता नींव भरी हुई है। व संपूर्ण रकबा पर वादीगण का पूर्ण रूप से कब्जाकाश्त है।

3. यह कि वादीगण ने अपना उक्त वयनामा दाखिल खारिज दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी को दिया किंतु उसने उक्त वयनामा का दाखिला खारिज दर्ज नहीं किया और उससे वयनामा कहीं गुम हो गया। इसी दौरान प्रतिवादीगण ने किरोडी पुत्र चिरंजी जो कि विधुर था व उसके कोई औलाद न होने की वजह से उसकी खातेदारी के संपूर्ण खसरा नंबरान का वयनामा दिनांक 27.07.98 को अपने नाम तस्दीक व तहरीर करा लिया जिसमें वादीगण को बेचे गए उक्त साबिक तीनों खसरा नंबरान 1421, 1911, 1912 का भी वयनामा दुबारा यह जानकारी होते हुए भी कि यह रकबा हमने प[illegible] दिया है। अपने नाम करा लिया व तत्काल प्रभाव से दाखिला खारिज सं[illegible] 739 दिनांक 09.09. 1998 को अपने नाम तस्दीक करा लिया जब वादीगण को अभियान में इस बात की जानकारी हुई तो वादीगण ने राजस्व अभियान में इंतकाल संख्या 914

Signature Not Verified
Digitally signed by: Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 23.10.2001 से अपना दाखिल खारिज तस्दीक कराया तो उक्त वयनामा दिनांक 29.10.83 का दाखिल खारिज बजाय संपूर्ण रकबा के 2/3 हिस्से पर ही दर्ज हो सका क्योंकि किरोडी के 1/3 हिस्से पर पूर्व में प्रतिवादीगण के इन्द्राज आ चुके थे व विक्रेता का नाम उस कॉलम में दर्ज नहीं था ऐसी स्थिति में वादीगण संपूर्ण रकबा क्रय करने के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में केवल 2/3 हिस्से के खातेदार दर्ज हो सके। इसलिए वादीगण का 1/3 हिस्सा गलत व फर्जी तरीके से प्रतिवादीगण ने अपने नाम करा लिया जिससे वादीगण बातिल व बेअसर कराने के अधिकारी हैं। तथा शेष 1/3 हिस्से की भी खातेदारी अपने नाम करा पाने के अधिकारी हैं। व वयनामा तारीख 27.07.98 को वादीगण के हिस्से तक बातिल व बेअसर करा पाने के अधिकारी हैं। उक्त वयनामा फर्जी तरीके के बिना किसी अधिकार के तहरीर कराया है जो कानून वॉईड है तथा बातिल व बेअसर किए जाने योग्य है। तथा उक्त गलत खातेदारी इन्द्राजात 1/3 के आधार पर वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी है। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादीगण को जरिए हुक्मइम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद कराने का अधिकारी है।

4. अंत में वादीगण द्वारा प्रार्थना की कि विवादित आराजी वादपत्र मद संख्या 2 के शेष 1/3 हिस्से पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किया जाकर फर्जी वयनामा दिनांक 27.07.98 को बातिल व बेअसर किया जावे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4, 5 की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह एडवोकेट उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से विष्णुदत्त चौहान एड उपस्थित हुए। साथ ही इनकी ओर से इकबाल दावा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 की तामील बाबजूद उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी [illegible] की ओर से पेश इकबाल दावा एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 की ओर से [illegible] जवाब दावा शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन [illegible] दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबंदी संबत 2074–77 वाके ग्राम करीली प्रदर्श 1, नकल सत्यप्रति वयनामा

12/3/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 29.10.83 प्रदर्श 2, नकल सत्यप्रति वयनामा दिनांक 27.07.98 प्रदर्श 3, नकल नामान्तकरण संख्या 914 वाके ग्राम करीली प्रदर्श 4, नकल नामान्तकरण संख्या 739 वाके करीली प्रदर्श 5, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 प्रदर्श 6 एवं 7, नकल जमाबंदी संवत 2052–55 वाके करीली प्रदर्श 8 पेश की गई एवं नकल सत्यप्रतिलिपि निर्णय दिनांक 18.07.24 उनवानी दावा अतरसिंह बनाम सुभाष वगै0 एवं नकल सत्यप्रतिलिपि दावा अतरसिंह बनाम सुभाष वगै0 तथा मौखिक बयान के रूप में सुभाष पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी करीली, महेन्द्र सिंह पुत्र किरोडी जाति जाट निवासी करीली, शिब्बो पुत्र खुन्नी जाति जाट निवासी करीली पेश की गई जिनसे जिरह प्रतिवादी वकील द्वारा की गई।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति शपथ पत्र दिनांक 20.07.20 शपथकर्ता शिब्बो पुत्र खुन्नी जाति जाट निवासी करीली पेश किए गए। अतः पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान कथन रहे कि हाल खसरा नंबरान 1612, 1910, 1908 व 1909 जिनके गत खसरा नंबरान क्रमशः 1421, 1911 एवं 1912 हैं। उक्त विवादित आराजीयात का वयनामा दिनांक 29.10.83 को वादीगण के हक में तत्कालीन खातेदारों द्वारा करा दिया गया था जो कि नकल सत्यप्रति वयनामा दिनांक 29.10.83 प्रदर्श 2 से बखूबी साबित होता है। तत्पश्चात् किरोडी पुत्र चिरंजी द्वारा विवादित आराजीयात को सम्मिलित करते हुए बेचान प्रतिवादीगण को जरिए वयनामा दिनांक 27.07.98 को कर दिया। विवादित आराजीयात का नामान्तकरण किरोडी के 1/3 हिस्से के अतिरिक्त अन्य 2/3 हिस्से पर हो गया जबकि किरोडी के हिस्से की आराजी का भी जरिए रजि0 वयनामा दिनांक 29.10.83 को वादीगण के हक में करा दिया था। प्रतिवादी संख्या 3 शिब्बो पुत्र खुन्नी द्वारा अपने इकबाल दावा में भी यह तथ्य अंकित किया है कि साबिक खसरा नंबरान 1421, 1911, 1912 वाके ग्राम करीली का विक्रय वादीगण को जरिए रजि0 वयनामा रामअवतार व सुभाष के हक में करा दिया। किरोडी के बेऔलाद होने के कारण उसके [illegible] समस्त आराजी का वयनामा डोरी व किरोडी के वारिसों ने आधे–आधे पर क[illegible]या था। किरोडी के हिस्से का वयनामा गलती से हमारे नाम हो गया क्योंकि वादीगण का नामान्तरकरण विलंब से हुआ था जबकि किरोडी के 1/3 हिस्सा जरिए वयनामा हमारे नाम हुआ था एवं नामान्तरकरण भी वादीगण से पहले हमारे हक में हो गया। तथा वादीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:27 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

नामान्तकरण बाद में होने के कारण शेष 2/3 हिस्से का ही दाखिल खारिज वादीगणों के नाम दर्ज हो सका। मौके पर भी वादीगण का कब्जा होकर मकान, दुकान आदि बने हुए हैं।

प्रतिवादी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि जब वयनामा पूर्व में ही दिनांक 29.10.83 को वादीगण के पक्ष में कराया जा चुका था तो दाखिल खारिज इतने वर्ष पश्चात् कराया गया। वादपत्र में शंकर कोई वादी नहीं है जबकि उसका कब्जा बता रखा है।

हमने उभयपक्षकरान के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना गया, तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि हाल खसरा नंबरान 1612, 1910, 1908 व 1909 जिनके गत खसरा नंबरान क्रमशः 1421, 1911 एवं 1912 हैं। उक्त विवादित आराजीयात का वयनामा दिनांक 29.10.83 को वादीगण के हक में तत्कालीन खातेदारों द्वारा करा दिया गया था जो कि नकल सत्यप्रति वयनामा दिनांक 29.10.83 प्रदर्श 2 से बखूबी साबित होता है। तत्पश्चात् किरोडी पुत्र चिरंजी द्वारा विवादित आराजीयात को सम्मिलित करते हुए बेचान प्रतिवादीगण को जरिए वयनामा दिनांक 27.07.98 को कर दिया। विवादित आराजीयात का नामान्तकरण किरोडी के 1/3 हिस्से के अतिरिक्त अन्य 2/3 हिस्से पर हो गया जबकि किरोडी के हिस्से की आराजी का भी जरिए रजि0 वयनामा दिनांक 29.10.83 को वादीगण के हक में करा दिया था। प्रतिवादी संख्या 3 शिब्बो पुत्र खुन्नी द्वारा अपने इकबाल दावा में भी यह तथ्य अंकित किया है कि साबिक खसरा नंबरान 1421, 1911, 1912 वाके ग्राम करीली का विक्रय वादीगण को जरिए रजि0 वयनामा रामअवतार व सुभाष के हक में करा दिया। किरोडी के बेऔलाद होने के कारण उसके हिस्से की समस्त आराजी का वयनामा डोरी व किरोडी के वारिसों ने आधे–आधे पर करा लिया था। किरोडी के हिस्से का वयनामा गलती से प्रतिवादीगण के नाम हो गया क्योंकि वादीगण का नामान्तरकरण विलंब से हुआ था जबकि किरोडी के 1/3 हिस्सा जरिए वयनामा प्रतिवादीगण के नाम हुआ था एवं नामान्तरकरण भी वादीगण से पहले प्रतिवादीगण के हक में हो गया। तथा वादीगण का नामान्तरकरण बाद में होने के कारण शेष 2/3 हिस्से का ही दाखिल खारिज वादीगणों के नाम दर्ज हो सका। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:27 IST
Reason: SelfAttested

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1612 रकबा 0.03, 1908 रकबा 0.14, 1909 रकबा 0.13, 1910 रकबा 0.05 किता 4 रकबा 0.35 है0 वाके मौजा करीली तहसील नदबई पर शेष 1/3 हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम चले आ रहे हाल इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

12/03/25

(गंगाधर मीणा R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner